



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या : ए-1/ई-1/2026
दिनांक : 25/06/2026

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.) (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा-2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 25.06.2026

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि: 27.07.2026

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अंतिम तिथि: 03.08.2026

महत्वपूर्ण

- (1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीओआरओ नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीओआरओ नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।
(c) ओटीओआरओ नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

- (2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा—O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
(3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।
(4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन—लाइन आवेदन की हार्ड—कॉपी के साथ ऑन—लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व—प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।
(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की **Website <https://uppsc.up.nic.in>** पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में **‘O.T.R. BASED APPLICATION’ system** लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन—लाइन आवेदन ही करें।

ऑन—लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर **“ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS”** अभ्यर्थी द्वारा **Click** करने पर **‘ON-LINE ADVERTISEMENTS’** स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

(i) User Instructions

(ii) View Advertisement

(iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन—लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा—निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने **“View Advertisement”** को **Click** करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन—लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित **Sample Snapshots** भी प्रदर्शित होंगे।

“ऑन—लाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम चरण – ‘APPLY’ Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष **‘Authenticate with O.T.R.’** प्रदर्शित होगा तथा **‘Authenticate with O.T.R.’** पर Click करने के उपरान्त **‘Have You Completed your O.T.R. Registration’** प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि:-

(i) **‘Yes’** पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **‘Click here to Authenticate’** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई—मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.R. अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से **Authenticate** कर सकते हैं। **Authentication** की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) **‘No’** पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो:- (a). सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। (b). ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण— प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण— द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBIMOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(I) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES.

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट **‘प्रिन्टर आइकन’** पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से

authenticate कर Login करने के उपरान्त 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:- ऑन—लाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण— तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

- (1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डेमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी समस्त परीक्षाओं/चयनों से उसे प्रतिवारित (डिबार) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
(3) उ०प्र० लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत् परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।
(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।
(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
(9) (क) प्रारम्भिक परीक्षा के पश्चात् अथवा जब माँग की जाय अभ्यर्थियों को अपने ऑन—लाइन आवेदन की हार्ड—कॉपी के साथ ऑन—लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व—प्रमाणित प्रतियां एवं विज्ञापन में अपेक्षित और कोई सूचना/अभिलेख आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
(ख) “अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा० आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।”

2- आवेदन शुल्क : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

- | | |
|--|---|
| (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग | परीक्षा शुल्क ₹ 100/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 125/- |
| (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति | परीक्षा शुल्क ₹ 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 65/- |
| (iii) दिव्यांगजन | परीक्षा शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 25/- |
| (iv) भूतपूर्व सैनिक | परीक्षा शुल्क ₹ 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 65/- |
| (v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी | अपनी मूल श्रेणी के अनुसार |

3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा–2026 में प्रवेश के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु विभिन्न जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। कतिपय पदों पर चयन उनकी सेवानियमावलियों में दी गई व्यवस्था के अनुसार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविद् को, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपनी अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें आयोग, द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अधिमान दिया जाएगा :-

क्रम सं.	मुख्य परीक्षा में विहित अधिकतम अंक	अधिमान		
		अनुसंधानविद जो 01 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 02 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि पूर्ण कर ली हो
1.	100 अंक तक	1.0 अंक	2.0 अंक	3.0 अंक
2.	101 से 500 अंक तक	1.5 अंक	3.0 अंक	4.5 अंक
3.	501 से 1000 अंक तक	2.0 अंक	4.0 अंक	6.0 अंक
4.	1000 से अधिक	2.5 अंक	5.0 अंक	7.5 अंक

टिप्पणी–अधिमान की गणना हेतु कट–ऑफ का दिनांक विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

4. रिक्तियों की संख्या:– वर्तमान में सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा–2026 हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 500 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट /बढ़ सकती है। रु0 9300–34800 ग्रेड पे रु0 4600 (केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे रु0 4200) से रु0 15600–39100 ग्रेड पे रु0 5400 तक (छठवें वेतन आयोग के अनुसार) के वेतनमान के पद सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा में सम्मिलित किये जाते हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:-

डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेन्ट कमिश्नर (वाणिज्य कर), जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी /लेखाधिकारी, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, अधीक्षक कारागार, प्रबन्धक ऋण (लघु उद्योग), प्रबन्धक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण (लघु उद्योग), अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1 /सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, सहायक आयुक्त उद्योग (प्रवर्तन), सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी (कोषागार), वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी (पंचायती राज), उप सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन), क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी (नगर विकास), जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–2, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण), यात्रीकर /मालकर अधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, लेखाधिकारी (स्थानीय निकाय), क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, सहायक निबन्धक (सहकारिता), उप निबन्धक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन), जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला प्रशासनिक आधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग), सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (ग्रेड–1 एवं ग्रेड–2), जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उपकारापाल, प्राविधिक सहायक (भू–भौतिकी), प्राविधिक सहायक (भूतत्व), व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक (राज्य सम्पत्ति विभाग), प्रबन्धक, रसायनज्ञ, विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) (खादी तथा ग्रामोद्योग), प्रधानाचार्य, राजकीय इंटरमीडिएट कालेज एवं विधि अधिकारी। उपर्युक्त पदों में से जिन पदों के अधियाचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है शेष पदों में से स्नातक शैक्षिक अर्हता के जो अधियाचन प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व तक प्राप्त हो जायेंगे, इस परीक्षा में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

5. आरक्षण: उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों /उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों /उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों /उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा–उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित /महिला अभ्यर्थी /उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों /उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट:– (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5 /2022 /18 /1 /2008 /47 /का–2 /2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु–5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है– दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

(2) शासनादेश संख्या 39 रिट /का–2 /2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18 /1 /99 /का–2 /2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर 4 में दिये गये प्राविधान, ‘यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है’, को रिट याचिका संख्या 11039 /2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16. 01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475 /2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(3) ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण–पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय –ज्ञाप सं. –1 /2019 /4 /1 /2002 /का–2 /19 टी.सी.–।।, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण /आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(5) उ0प्र0 के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी /उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

(6) आरक्षण /आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(7) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी /आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक

लाभकारी होगी, दी जायेगी।

(8) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

(9) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी /उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. आपात कमीशन प्राप्त /अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):–

आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या–22 /10 /1976–कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:–

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना /नौ सेना /वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथासमय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात /अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, **यदि**

(क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

7. वैवाहिक प्रास्थिति :– ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

8. शैक्षिक अर्हता :– आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑन–लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में अवश्य करें, कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हतायें भी हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क्र. सं.	पदनाम	अर्हताएं (अनिवार्य एवं अधिमाानी)
1	प्रधानाचार्य, राजकीय इंटरमीडिएट कालेज (बालक /बालिका)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय /मानित विश्वविद्यालय /संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि, (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक(बी0एड0) की उपाधि, (3) हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कक्षाओं या उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में नियमित रूप से नियुक्ति हो तथा तीन वर्ष तक निरन्तर पढ़ाने का अनुभव एवं केन्द्र /राज्य सरकार के कोष या अनुदान से नियमित वेतन आहरित किया हो। अधिमाानी:– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने (1) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर , सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
2	सह जिला विद्यालय निरीक्षक /उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय /मानित विश्वविद्यालय /संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि अधिमाानी:– (1) अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने एन0सी0टी0ई0 मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि पूर्ण किया हो। (2) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने (i) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर , सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
3	वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक अधिमाानी:– (अ) एम0एड0 /शिक्षा में पी0एच0डी0 /शिक्षा में एम0फिल0। (ब) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने 1– प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2– राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
4	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	अर्थशास्त्र /समाजशास्त्र / वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि /श्रम सम्बन्ध /श्रम कल्याण /श्रम विधि / वाणिज्य /समाजशास्त्र /समाजकार्य /समाज कल्याण /व्यापार प्रबन्धन /कार्मिक प्रबन्धन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि। अधिमाानी:– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने 1– प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2– राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
5	सहायक श्रमायुक्त	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य /कल्याण, व्यापार प्रबन्धन, कार्मिक प्रबन्धन में परास्नातक की उपाधि की अर्हता निर्धारित की गयी है। अधिमाानी:– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने 1– प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2– राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
6	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	(एक) मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव–रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष /मान्यता प्राप्त अर्हता। (दो) चयन के पश्चात् अभ्यर्थी ने इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या संस्थान से खाद्य प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो, परन्तु किसी व्यक्ति को, जिसका विनिर्माण आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, संबंधित सेवा नियमावली के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा। समकक्ष अर्हता :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से निम्नलिखित अध्ययन के विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि :–

		<table><tr><td></td><td>'खाद्य तकनीक' अध्ययन के विषय</td><td>'कृषि विज्ञान' विषय के अन्तर्गत आने वाले अध्ययन के विषय</td></tr><tr><td>(i)</td><td>खाद्य इंजीनियरिंग</td><td>(I) कृषि</td></tr><tr><td>(ii)</td><td>खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक</td><td>(ii) कृषि इंजीनियरिंग</td></tr><tr><td>(iii)</td><td>खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण</td><td>(iii) जैवप्रौद्योगिकी</td></tr><tr><td>(iv)</td><td>खाद्य प्रसंस्करण तकनीक</td><td>(iv) डेयरी तकनीकी</td></tr><tr><td>(v)</td><td>खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन</td><td>(v) मत्स्य पालन</td></tr><tr><td>(vi)</td><td>खाद्य जैवप्रौद्योगिकी</td><td>(vi) खाद्य तकनीक</td></tr><tr><td>(vii)</td><td>खाद्य संयन्त्र संचालन प्रबंधन</td><td>(vii) खाद्य पोषण एवं आहार-विद्या</td></tr><tr><td>(viii)</td><td>खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबन्धन</td><td>(viii) हॉर्टिकल्चर</td></tr><tr><td>(ix)</td><td>खाद्य प्रसंस्करण</td><td></td></tr><tr><td>(x)</td><td>खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन</td><td></td></tr><tr><td>(xi)</td><td>प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग</td><td></td></tr></table>		'खाद्य तकनीक' अध्ययन के विषय	'कृषि विज्ञान' विषय के अन्तर्गत आने वाले अध्ययन के विषय	(i)	खाद्य इंजीनियरिंग	(I) कृषि	(ii)	खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक	(ii) कृषि इंजीनियरिंग	(iii)	खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण	(iii) जैवप्रौद्योगिकी	(iv)	खाद्य प्रसंस्करण तकनीक	(iv) डेयरी तकनीकी	(v)	खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन	(v) मत्स्य पालन	(vi)	खाद्य जैवप्रौद्योगिकी	(vi) खाद्य तकनीक	(vii)	खाद्य संयन्त्र संचालन प्रबंधन	(vii) खाद्य पोषण एवं आहार-विद्या	(viii)	खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबन्धन	(viii) हॉर्टिकल्चर	(ix)	खाद्य प्रसंस्करण		(x)	खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन		(xi)	प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग	
	'खाद्य तकनीक' अध्ययन के विषय	'कृषि विज्ञान' विषय के अन्तर्गत आने वाले अध्ययन के विषय																																				
(i)	खाद्य इंजीनियरिंग	(I) कृषि																																				
(ii)	खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक	(ii) कृषि इंजीनियरिंग																																				
(iii)	खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण	(iii) जैवप्रौद्योगिकी																																				
(iv)	खाद्य प्रसंस्करण तकनीक	(iv) डेयरी तकनीकी																																				
(v)	खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन	(v) मत्स्य पालन																																				
(vi)	खाद्य जैवप्रौद्योगिकी	(vi) खाद्य तकनीक																																				
(vii)	खाद्य संयन्त्र संचालन प्रबंधन	(vii) खाद्य पोषण एवं आहार-विद्या																																				
(viii)	खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबन्धन	(viii) हॉर्टिकल्चर																																				
(ix)	खाद्य प्रसंस्करण																																					
(x)	खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन																																					
(xi)	प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग																																					
		अधिमानी:- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने 1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो । या 2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।																																				
7	जिला परीक्षका अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा । समकक्ष योग्यता: महिला कल्याण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-44 / 2025 / 1049924 / 60-1099 / 116 / 2022, दिनांक 07-08-2025 द्वारा समकक्ष अर्हता “भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वूमैन स्टडीज या जेन्दर स्टडीज में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित की गयी है।” अधिमानी:-अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने 1— प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो । या 2— राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।																																				
8	सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, ग्रेड-2	(एक) (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, या (ख) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से जिसे किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो, या (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि, और (दो) देव नागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान । अधिमानी अर्हता- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।																																				
9	विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर)	1—किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि अथवा 1—गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2—कम्प्यूटर कार्य का एक वर्ष का अनुभव अधिमानी —1. प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2—राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के सामान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा । नोट:- उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र दिनांक: 07.07.2022 के अनुसार विशेष कार्याधिकारी(कम्प्यूटर) के पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बिन्दु संख्या-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित सरकारी विभाग / संस्था अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा:- 1—यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ । 2—अपट्रान पॉवरट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद, गाजियाबाद । 3—श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड, निकट गोमती बैराज, गोमतीनगर, लखनऊ । 4—उत्तर प्रदेश सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ । 5-National Informatics Centre Services incorporated (NICS) 6-National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)																																				
10	सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन)	1—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो 2—देवनागरी लिपि में हिन्दी का पूर्ण ज्ञान रखता हो । समकक्ष योग्यता: उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-124 / 2024 / 3052 / तीस-3-2024(ई1870664), दिनांक 22.11.2024 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) हेतु विधि स्नातक के समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि के सम्बन्ध में केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रदान की गयी त्रिवर्षीय विधि स्नातक की उपाधि को पंचवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम की उपाधि (B.B.A.LLB, B.A.LLB., B.Com. L.LB., B.Sc.L.LB.) के समकक्ष अर्हता निर्धारित की गयी है । अधिमानी:- 1—प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2—राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के सामान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा ।																																				
11	जिला कार्यक्रम अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मानव शास्त्र या मनो विज्ञान या अर्थ शास्त्र या राजनीति विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य मे स्नातक उपाधि । अधिमानी:- 1— ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो । या 2— प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो । या 3— राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।																																				
12	बाल विकास परियोजना अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाज शास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि । अधिमानी:- 1— ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो । या 2— प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो । या 3— राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।																																				
केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद																																						
क्र.सं.	पदनाम	अर्हताएं (अनिवार्य एवं अधिमानी)																																				
1	व्यवस्थापक	व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय के रूप में हाउस कीपिंग के साथ होटल मैनेजमेन्ट और कैटरिंग टेकनालाजी में स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है । अधिमानी : अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने— (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।																																				
2	लेखा एवं सम्प्रेक्षाधिकारी, मंडी परिषद्	एक विषय के रूप में लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक और किसी उत्तरदायित्व पूर्ण हैसियत में लेखा कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । लेखा परीक्षा / लेखा में उच्च अर्हता के लिए अधिमान दिया जायेगा । नोट: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रमुख / अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होगा ।																																				
3	विपणन अधिकारी, मंडी परिषद्	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि । अधिमानी:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि अर्थशास्त्र / कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए. (एग्रीबिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि। समकक्ष योग्यता: “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि व्यवसाय प्रबंधन, बागवानी व्यवसाय प्रबंधन, बागवानी विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि ।																																				

		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि । अधिमानी:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र / कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए. (एग्रीबिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि । समकक्ष योग्यता: “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कृषि व्यवसाय प्रबंधन, बागवानी व्यवसाय प्रबंधन, बागवानी विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि ।
4	सचिव श्रेणी-2, मंडी परिषद्	
5	लेखा एवं वित्त अधिकारी (नगर विकास विभाग)	विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्थशास्त्र / वाणिज्य / फाइनेन्स के साथ स्नातक / सी0ए0(चार्टेड अकाउन्टेन्ट), सी0एफ0ए0 (चार्टेड फाइनेन्सियल एनालिस्ट) । अधिमानी :-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- 1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

नोट:- (1) अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिये जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु विचार किया जायेगा ।

(2) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-03/2023/312/47-का-2-312

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीने की माप (बिना फुलाए)	सीने का फुलाव न्यूनतम (से.मी.)
1— पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	168 से.मी.	81.3 से.मी.	05 से.मी.
2— महिला अभ्यर्थियों के लिए	152 से.मी.	वजन 45 से 58 कि.ग्रा.	

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में उंचाई की माप निम्नवत है:—

पुरुष—160 से.मी.

महिला—147 से.मी.

जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी

पुरुष अभ्यर्थी

1	ऊँचाई	सेंटीमीटर में (न्यूनतम)
(क)	अनूसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए	160.0 सेंटीमीटर
(ख)	पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	162.6 सेंटीमीटर
(ग)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	167.7 सेंटीमीटर

	सीना	बिना फुलाए हुए सेंटीमीटर में	फुलाने पर सेंटीमीटर में
(क)	अनूसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	76.5 सेंटीमीटर	81.3 सेंटीमीटर
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	78.5 सेंटीमीटर	83.5 सेंटीमीटर

महिला अभ्यर्थी

	ऊँचाई	सेंटीमीटर में (न्यूनतम)
(क)	अनूसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	147.0 सेंटीमीटर
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	152.0 सेंटीमीटर

नोट:— अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व भलीभाँति यह सुनिश्चित कर लें कि वे उपर्युक्त शारीरिक योग्यतायें रखते हैं।

10. आयु सीमा:— (1.) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2026 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1986 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1971 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज (बालक या बालिका) पद हेतु :— अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 30 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई 1986 से पूर्व तथा 1 जुलाई 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट:— (क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उप्र. राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों /कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1981 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।

(ग) उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि +03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अनुसार

(एक) मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविदों जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अंतिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो. उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जायेगा।

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अनुसंधानविद के रूप में 01 वर्ष का अवधि /कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे एक वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा, कोई अभ्यर्थी जो 02 वर्ष का अवधि / कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे दो वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा और कोई अभ्यर्थी 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि /कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा परन्तु आयु सीमा में शिथिलीकरण के प्रयोजन के लिए, कार्यकाल की गणना विज्ञापन वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से की जाएगी।

(तीन) आयु शिथिलीकरण केवल उन्ही अनुसंधानविदों को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम पूर्ण करते समय सरकारी सेवा हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर लिया हो।

परन्तु यह कि ऐसी श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी जिन्होंने अधिकतम आयु सीमा में किसी शिथिलीकरण हेतु पहले से ही पात्र हैं उन्हें कोई पृथक से आयु शिथिलीकरण प्रदान नहीं किया जायेगा।

नोट:— (1) मंडी परिषद के अंतर्गत लेखा एवं सम्प्रेक्षाधिकारी और विपणन अधिकारी पदों हेतु:—परिषद् के कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने परिषद् में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।

(2) मंडी परिषद के अंतर्गत सचिव श्रेणी—2 पद हेतु:— समिति कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने समिति में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।

नगर विकास विभाग के अंतर्गत

(३) लेखा एवं वित्त अधिकारी पद हेतु: किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी भी केन्द्रीयित सेवा अथवा पालिका अथवा राज्य सरकार में सेवा की हो, अधिकतम आयु सीमा से 05 वर्ष अधिक होगी।

11. सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में कतिपय सूचनार्य:—

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुन: आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ. प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 200 /— एवं ऑन—लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 /— योग रु0 225 /— तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति / उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80 /— एवं ऑन—लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 /— योग रु0 105 /— निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन—लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 /— मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80 /— एवं ऑन—लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 /— योग रु0 105 /— निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित /महिला, कुशल /उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग / श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा।

(2) सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क सबमिट /जमा करना होगा।

(३) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है।

(4) मुख्य परीक्षा हेतु तिथि तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

(५) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आधार पर सफल घोषित होंगे।

(6) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्रादि भरना होगा।

(7) विभिन्न पदों के लिए अधिमान्यताएं साक्षात्कार के समय मांगी जायेंगी, जो अन्तिम होंगी और तत्पश्चात् उनमें कोई परिवर्तन

अनुमन्य नहीं होगा एवं इस संबंध में त्रुटि सुधार /संशोधन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन /प्रार्थना—पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(8) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा।

(9) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(10) साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

नोट:— सम्मिलित राज्य /प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) (सामान्य /विशेष चयन) परीक्षा—2026 के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

12. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:—

(1) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को (मुख्य परीक्षा के) आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वत: प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र /अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र /अंक पत्र स्वत: प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(३) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा—3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी /विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(4) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

(6) कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्य्वहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 दिनांक 6 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत् परीक्षा में लागू रहेंगे।

(7) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R. No./Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता /पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

(8) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(9) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिकितियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे तथा मुख्य (लिखित) परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु तीन गुना अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे।

(10) याचिका सं0 (सी0) 165 / 2005 संजय सिंह बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय /आदेश का अनुपालन किया जाएगा।

(11) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(12) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(13) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधित गोलों को काला करके सही—सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ह्वाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(14) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मा0 आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति—गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति—हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति—नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति—नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।

(15) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी:— 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1 / 3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(16) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक /मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता /चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक /मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता /चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(17) अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

(18) प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (disqualify) हो जायेगा। अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

(19) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों /अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक /मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ /रियायत न लिया गया हो।

नोट:— उक्त बिन्दु पर मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खण्डपीठ) में योजित स्पेशल अपील संख्या—233 / 2026 भावना यादव व 06 अन्य बनाम उ०प्र० शासन व 02 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को स्थगनादेश पारित किया गया है।

(20) चयन से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं में कार्यवाही तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों/ संगत विधियों/ प्रभावी शासनादेशों/ मा0 आयोग के निर्णयों के अनुसार की जायेगी।

(21) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(22) जिन अभ्यथियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अत: अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1— अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।

अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त

होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जाएंगे। 2— सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। 3— आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट—1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे। 4— आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए। 5— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश संख्या— 453/79—वी—1—15—1(का) 14—2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें। 6— यदि अभ्यर्थी को ऑन—लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। 7— आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का प्रारूप, प्राधानाचार्य पद हेतु अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप व मुख्य मंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट—1 पर उपलब्ध है। प्रारम्भिक परीक्षा की परीक्षा योजना परिशिष्ट—2 पर, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट—3 पर तथा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अनुदेश एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट—4 पर उपलब्ध है। पद संबंधी संगत सेवा नियमावलियों का विवरण परिशिष्ट—5 उपलब्ध है। Detailed Application Form: At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application will be dropped and the procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make possible the submission of the candidate's Online Application. Notification Details This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name. Personnel Details from OTR This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband's name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom Fighter of U.P., Ex-servicemen of U.P., service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidate. Education & Experience Details It shows your educational and experience details Declaration segment At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print. [CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE] For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website https://uppsc.up.nic.in IMPORTANT ANNOUNCEMENT :- NOTIFICATIONS /ADVERTISEMENTS • All Notification/Advertisements :- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION • Candidate Registration • Fee Deposition /Reconciliation • Submit Application Form • Modify Submitted Application • Candidate Dashboard (OTR Based) :- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION • Double Verification mode • View Application Status • Download Admit Card • Print Duplicate Registration Slip • Print Detailed Application Form • List of Applications Having ANY Objections • View Answer Key	के ग्राम..... . तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर..... दिनांक पूरा नाम..... मुहर पद नाम..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।
	उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/ सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद कानाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।
	(प्रपत्र—I) उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय का नाम..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण—पत्र प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:— I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीटअथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।
	(प्रपत्र— II) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:— 1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। 2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है। 3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है। अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ। 4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है। I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी

<table><tr><th>S. No.</th><th>Disability</th><th>Affected part of body</th><th>Diagnosis</th><th>Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Locomotor disability</td><td>@</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Muscular Dystrophy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Leprosy Cured</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Cerebral Palsy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Acid attack Victim</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Low Vision</td><td>#</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Deaf</td><td>£</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>Hard of Hearing</td><td>£</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>Speech and Language disability</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td>Intellectual Disability</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td>Specific Learning Disability</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12.</td><td>Autism Spectrum Disorder</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13.</td><td>Mental illness</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14.</td><td>Chronic Neurological Conditions</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15.</td><td>Multiple sclerosis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16.</td><td>Parkinson's disease</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17.</td><td>Haemophilia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18.</td><td>Thalassemia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19.</td><td>Sickle Cell disease</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (Please strike out the disabilities which are not applicable) 2. The above condition is progressive/non-progressive/liklye to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is :- (i) not necessary. or (ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) @ e.g. Left/right/both arms/legs # e.g. Single eye/both eyes £ e.g. Left/Right/both ears 4. Signature and seal of the Medical Authority.	S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)	1.	Locomotor disability	@			2.	Muscular Dystrophy				3.	Leprosy Cured				4.	Cerebral Palsy				5.	Acid attack Victim				6.	Low Vision	#			7.	Deaf	£			8.	Hard of Hearing	£			9.	Speech and Language disability				10.	Intellectual Disability				11.	Specific Learning Disability				12.	Autism Spectrum Disorder				13.	Mental illness				14.	Chronic Neurological Conditions				15.	Multiple sclerosis				16.	Parkinson's disease				17.	Haemophilia				18.	Thalassemia				19.	Sickle Cell disease				प्रारूप – 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम).....आयोजित राष्ट्रीय..... में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया । उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया । यह प्रमाण–पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है । स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा ।
S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)																																																																																																	
1.	Locomotor disability	@																																																																																																			
2.	Muscular Dystrophy																																																																																																				
3.	Leprosy Cured																																																																																																				
4.	Cerebral Palsy																																																																																																				
5.	Acid attack Victim																																																																																																				
6.	Low Vision	#																																																																																																			
7.	Deaf	£																																																																																																			
8.	Hard of Hearing	£																																																																																																			
9.	Speech and Language disability																																																																																																				
10.	Intellectual Disability																																																																																																				
11.	Specific Learning Disability																																																																																																				
12.	Autism Spectrum Disorder																																																																																																				
13.	Mental illness																																																																																																				
14.	Chronic Neurological Conditions																																																																																																				
15.	Multiple sclerosis																																																																																																				
16.	Parkinson's disease																																																																																																				
17.	Haemophilia																																																																																																				
18.	Thalassemia																																																																																																				
19.	Sickle Cell disease																																																																																																				
	प्रारूप – 3 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया । उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया । यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है । स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा ।																																																																																																				
<table><tr><th>Name and Seal of Member</th><th>Name and Seal of Member</th><th>Name and Seal of the Chairperson</th></tr><tr><td> Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued </td><td></td><td>Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</td></tr></table>	Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson	Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)	प्रारूप – 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया । उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया । यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है । स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण–पत्र निदेशक / या अतिरिक्त / संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा ।																																																																																														
Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson																																																																																																			
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)																																																																																																			
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र । प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी निवासी ग्राम..... तहसील.....नगर..... जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं । स्थान.....हस्ताक्षर दिनांक.....पूरा नाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी..... सील.....	प्रमाण–पत्र उ0प्र0 शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ‘ख’ उच्चतर के अन्तर्गत प्रधानाचार्य पद हेतु अनुभव प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....पिता / पति का नाम..... पता..... संस्था का नाम..... हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कक्षाओं या उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में नियमित रूप से नियुक्त थे / हैं तथा तीन वर्ष तक (अध्यापन हेतु पदनाम.....दिनांक से दिनांक तक) निरंतर पढ़ाने का अनुभव एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार के कोष या अनुदान से नियमित आहरित वेतन बैंड ग्रेड पे कुल परिलब्धियां.....कार्यरत थे / हैं । हस्ताक्षर..... नाम..... प्रधानाचार्य / प्रबन्धक / रजिस्ट्रार मुहर प्रतिहस्ताक्षरित संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल का नाम मुहर																																																																																																				
कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या–22 / 21 / 1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4 प्रारूप –1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित..... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया । उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया । यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है । स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा ।	क्रमांक:  उत्तर प्रदेश शासन नियोजन विभाग मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री..... श्री / श्रीमती..... जिनकी जन्मतिथि.....है, के द्वारा नियोजन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्ड.....जनपद.....																																																																																																				

.....में दिनांक.....से.....तक शोधार्थी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया गया ।
नोट: यह प्रमाण—पत्र उ0प्र0 लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 में प्राविधानित वेटेज व आयु में शिथिलीकरण प्रयोजनार्थ जारी किया गया है ।
दिनांक :

.....
विशेष सचिव, नियोजन विभाग

परिशिष्ट–2
परीक्षा की योजना

सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा–2026 हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं । यथा:– (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार की),

(2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा)

(3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)

1. प्रारम्भिक परीक्षा

सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा–2026 की प्रारम्भिक परीक्षा दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों की होगी । जिनके उत्तर पत्रक ओ. एम. आर. सीट के रूप में होंगे । प्रारम्भिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट–3 में उल्लिखित है । प्रत्येक प्रश्न—पत्र 200 अंकों के तथा दो—दो घण्टे अवधि के होंगे । दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे जिनमें क्रमशः 150 व 100 प्रश्न होंगे । प्रथम प्रश्न पत्र पूर्वाहन 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्नपत्र अपरान्ह 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक ।

नोट: (1) प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।
(2) मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है । अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (disqualify) हो जायेगा । (3) अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा ।

2. सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु मुख्य (लिखित) (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा के लिए निर्धारित विषय:

मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट–4 में उल्लिखित हैं ।

अनिवार्य विषय		
1. सामान्य हिन्दी	परम्परागत	150 अंक
2. निबन्ध	परम्परागत	150 अंक
3. सामान्य अध्ययन - I	परम्परागत	200 अंक
4. सामान्य अध्ययन - II	परम्परागत	200 अंक
5. सामान्य अध्ययन - III	परम्परागत	200 अंक
6. सामान्य अध्ययन - IV	परम्परागत	200 अंक
7. सामान्य अध्ययन - V	परम्परागत	200 अंक
8. सामान्य अध्ययन - VI	परम्परागत	200 अंक

नोट: सभी प्रश्न पत्र परम्परागत (Conventional) प्रकार के होंगे । इन प्रश्न—पत्रों के हल करने की अवधि 3 घन्टे होगी । अभ्यर्थी से सामान्य हिन्दी के प्रश्न—पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे ।

3. व्यक्तित्व परीक्षा / साक्षात्कार (कुल अंक 100)

यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुये सामान्य अभिरुचि के विषयों से सम्बन्धित होगी ।

परिशिष्ट–3

सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा से सम्बन्धित प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
प्रश्नपत्र–1
(सामान्य अध्ययन— I)

अवधि—दो घण्टे
अंक — 200

— राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें

— भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन

— भारत एवं विश्व का भूगोल— भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल

— भारतीय राजनीति एवं शासन— संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारिक मुद्दे (राइट्स इश्यूज) आदि

— आर्थिक एवं सामाजिक विकास—सतत विकास, गरीबी, अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि

— पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है

— सामान्य विज्ञान

— राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें: राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी ।

— भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन: इतिहास के अन्तर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है ।

— भारत एवं विश्व का भूगोल: भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल: विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी । भारत का भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से सम्बन्धित प्रश्न होंगे ।

— भारतीय राजनीति एवं शासन—संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण आदि: भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अन्तर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे ।

— आर्थिक एवं सामाजिक विकास— सतत विकास, गरीबी अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव

आदि: अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा ।

— पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन: इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है । अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है ।

— सामान्य विज्ञान: सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है ।

नोट: अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो ।

प्रश्नपत्र–2

सामान्य अध्ययन— I।

अवधि—दो घण्टे

अंक — 200

— काम्प्रिहेन्सन (विस्तारीकरण)

— अन्तर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें सम्प्रेषण कौशल भी समाहित होगा ।

— तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता ।

— निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान ।

— सामान्य बौद्धिक योग्यता ।

— प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक— अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित व सांख्यिकी ।

— सामान्य अंग्रेजी हाईस्कूल स्तर तक ।

— सामान्य हिन्दी हाईस्कूल स्तर तक ।

प्रारम्भिक गणित (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

1. अंकगणित:

(1) संख्या पद्धति: प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय—अपरिमेय एवं वास्तविक संख्यायें, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्यायें । पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य तथा उनमें सम्बन्ध ।

(2) औसत

(3) अनुपात एवं समानुपात

(4) प्रतिशत

(5) लाभ—हानि

(6) ब्याज— साधारण एवं चक्रवृद्धि

(7) काम तथा समय

(8) चाल, समय तथा दूरी

2. बीजगणित :

(1) बहुपद के गुणनखण्ड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य एवं उनमें सम्बन्ध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण

(2) समुच्चय सिद्धान्त: समुच्चय, उप समुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियायें (संघ, प्रतिष्ठेद, अन्तर, समिमित अन्तर), बेन—आरेख

3. रेखागणित:

(1) त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलम्ब चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उनके गुण सम्बन्धी प्रमेय तथा परिमाप एवं उनके क्षेत्रफल,

(2) गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु तथा धन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ।

4. सांख्यिकी: आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारम्बारता, बारम्बारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारम्बारता, आंकड़ों का निरूपण, दण्डचार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारम्बारता बहुभुज, संचयी बारम्बारता वक्र, केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप— समान्तर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ।

General English Upto Class X Level

1. Comprehension

2. Active Voice and Passive Voice

3. Parts of Speech

4. Transformation of Sentences

5. Direct and Indirect Speech

6. Punctuation and Spellings

7. Words meanings

8. Vocabulary & Usage

9. Idioms and Phrases

10. Fill in the Blanks

सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

(1) हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह

(2) शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ

(3) शब्द—रूप

(4) संधि, समास

(5) क्रियायें

(6) अनेकार्थी शब्द

(7) विलोम शब्द

(8) पर्यायवाची शब्द

(9) मुहावरे एवं लोकोक्तियां

(10) तत्सम एवं तद्भव, देशज, विदेशी (शब्द भंडार)

(11) वर्तनी

(12) अर्थबोध

(13) हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ

(14) उ0प्र0 की मुख्य बोलियाँ

परिशिष्ट–4

--

</

निर्वाचन आयोग। 9. उ0प्र0 में स्थानीय स्वशासन: शहरी एवं पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार सम्बन्धी मुद्दे। 10. उ0प्र0—सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई—गवर्नेस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना। 11. उ0प्र0 में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव। 12.उ0प्र0 में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे:— (i) उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच सम्बन्ध। (ii) बाह्य, राज्य एवं अन्तर राज्यीय सक्रियकों से आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका। (iii) साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, कालेधन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम। (iv) विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ और उनके शासनादेश / अधिकार—पत्र। (v) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबन्धन, संगठित अपराधों का आंतकवाद से संबंध। 13. उ0प्र0 में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा। 14. उ0प्र0 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे। 15. उ0प्र0 में शिक्षा प्रणाली। 16. भारत के विकास में उ०प्र० की भूमिका। 17. उ0प्र0 की समसामयिक घटनाएँ। 18. जल शक्ति मिशन एवं अन्य केन्द्रीय योजनायें एवं उनका क्रियान्वयन। 19. उ0प्र0 में गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.): मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव। 20. उ0प्र0 में पर्यटन: मुद्दे एवं सम्भावनायें। 21. उ0प्र0 में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार: इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक—आर्थिक विकास पर प्रभाव। सामान्य अध्ययन — VI 1. उ0प्र0 का आर्थिक परिदृश्य : अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएँ, बुनियादी ढाँचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्त्व। 2. उ0प्र0 का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। 3. उ0प्र0 सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएँ, परियोजनाएँ एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। 4. उ0प्र0 में निवेश: मुद्दे एवं प्रभाव। 5. उ0प्र0 की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति। 6. उ0प्र0 में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर—नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबन्धन। 7. उ0प्र0 की जनांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना। 8. उ0प्र0 में कृषि का व्यावसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन। 9. उ0प्र0 की नवीन वानिकी नीति। 10. उ0प्र0 की कृषि एवं सामाजिक वानिकी। 11. उ0प्र0 में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएँ एवं उनका समाधान। 12. उ0प्र0 के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक। 13. उ0प्र0 का भूगोल— भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति।	14. उ0प्र0 में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। 15. उ0प्र0 में परिवहन तंत्र। 16. उ0प्र0 में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना। 17. उ0प्र0 में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य। 18. उ0प्र0 के प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, वायु, वन, घास—मैदान, आद्रभूमि। 19. उ0प्र0 के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से सम्बन्धित मुद्दे। 20. उ0प्र0 के सन्दर्भ में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र—संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव—जन्तु एवं वनस्पतियां। 21. उ0प्र0 में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न। 22. उ0प्र0 में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन तथा उ०प्र० के विकास में इनका प्रभाव। 23. उ0प्र0 के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। परिशिष्ट—5 पदों की संगत सेवानियमावलियों का विवरण 1. उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982 (यथा संशोधित) 2. उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम अद्योग बोर्ड (समूह ‘क’ और ‘ख’) सेवा विनियमावली, 2005 (यथा संशोधित) 3. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 4. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 (यथा संशोधित) 5. उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली, 1982 (यथा संशोधित) 6. उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (बाट तथा माप) सेवा नियमावली, 1981 7. उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) 8. उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग (खाद्य सुरक्षा संवर्ग) (समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) 9. उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 (यथा संशोधित) 10. उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली 2019 (यथा संशोधित) 11. उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा नियमावली, 1979 (यथा संशोधित) 12. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) 13. प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) 14. उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह ‘क’ और ‘ख’) सेवा नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) 15. उत्तर प्रदेश सचिवालय व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक सेवा नियमावली, 2015 16. उत्तर प्रदेश परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004 17. उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) 18. उत्तर प्रदेश, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2001 19. उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 20. उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 (यथा संशोधित) 21. उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह ‘‘क’’ और समूह ‘‘ख’’) सेवा नियमावली, 1996 (यथा संशोधित)
	सचिव